डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. .2
डब्ल्यू. पी./505/2000.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545] भोपाल, बुधवार दिनांक 13 सितम्बर 2000—भाद्र 22, शक 1922

वित्त विभाग (संस्थागत वित्त)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2000

क्र. एफ. 12-3-2000-संवि-चार.—मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (क्रमांक 1 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 12-5-88-संवि-88-चार, तारीख 5 नवम्बर 1988 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित स्कीमों को "सामाजिक दृष्टि से वांछिनीय स्कीम" घोषित करती है, अर्थात्:—

ऐसी समस्त स्कीमें, जिनके अधीन कोई बैंककारी कम्पनी या कोई सरकारी कम्पनी/निगम निम्नलिखित के लिए/को उधार देती है,—

(क) भूमि के विकास, सिंचाई सुविधाओं का सृजन तथा उपयोग और कृषि, मत्स्य उद्योग, मुर्गीपालन, डेयरी तथा सम्बद्ध क्षेत्र के समुत्थान के लिए निविष्टियों तथा उपकरणों के क्रय हेतु;

(ख) लघु, छोटे, कुटीर, घरेलू एवं ग्राम उद्योग;

(ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना (एसईईयूवाई);

(घ) शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपीयूपी);

(ङ) शहरी गरीबों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना (एसटीईपीयूपी);

(च) ब्याज की विभेदक दर (डी.आई.आर.) स्कीम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति;

(छ) निम्नांकित के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति:—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.);

(2) स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना (एस. जी. आर. वाय.);

(3) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस. जे. एस. आर. वाय.);

(4) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाय.);

(5) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरम्भ किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य सभी रोजगारोन्मुखी स्कीम;

(ज) स्कीम, जो निम्नलिखित द्वारा प्रशासित हों :—

(1) लघु कृषि विकास अभिकरण;

(2) मत्स्य-कृषक विकास अभिकरण;

(3) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम मर्यादित;

(4) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) वित्त तथा विकास निगम मर्यादित;

(5) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम;

(झ) पूर्विकता/गैर-पूर्विकता सेक्टरों के अन्य उधारग्रहीता, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(1) लघु सड़क और जल परिवहन प्रवर्तक;

(2) फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी;

(3) लघु तथा वृहद् व्यवसाय प्रवर्तक;

(4) वृत्तिक एवं स्व नियोजित व्यक्ति;

(5) कमजोर वर्गों के लिए उपभोग संबंधी उधार;

(6) वैयक्तिक उपभोक्ता उधार;

(7) गृह-निर्माण उधार;

(8) शिक्षा संबंधी उधार;

(9) पर्यटन एवं होटल/खान-पान प्रबंध;

(10) अधोसंरचना के विकास के लिए वित्त पोषण;

(11) किसान क्रेडिट कार्ड/कार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. आर. एस. चौधरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2000

क्र. एफ. 12-3-2000-आई.एफ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना के आदेश क्रमांक एफ. 12-3-2000-आई.एफ-चार, दिनांक 13 सितम्बर 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. आर. एस. चौधरी, सचिव.

Bhopal, the 13th September 2000

No. F. 12-3-2000-IF-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 2 of the Madhya Pradesh Lok Dhan (Shodhya Rashiyon Ki Vasuli) Adhiniyam, 1987 (No. 1 of 1988), and in supersession of this Department Notification No. F. 12-5-88-IF-88-IV, dated 5th November 1988, the State Government hereby declare the following Scheme as "Socially Desirable Schemes", namely:—

All Schemes under which any Banking Company or a Government Company/Corporation advance loans for/to—

(a) Development of land, creation and use of irrigation facilities and purchase of inputs and implements for promotion of agriculture, fisheries, poultry, dairy and allied sector;

(b) Small Scale, Tiny, Cottage and Village Industries;

(c) Self-employment Programme for Education Unemployed Youth (SEEUY);

(d) Self-employment Programme for Urban Poor (SEPUP);

(e) Special Training and Employment Programme for Urban Poor (STEPUP);

(f) Persons covered under Differential Rates of Interest (DIR) Scheme;

(g) Persons covered under—

  (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP);

  (ii) Swarn Jayanti Gram Rojgar Yojna (SGRY);

  (iii) Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojna (SJSRY);

  (iv) Prime Minister Rojgar Yojna (PMRY);

  (v) All other Government sponsored employment oriented schemes under poverty alleviation programme launched by Central/ State Government from time to time.

(h) Schemes administered by—

  (i) Small Farmers Development Agency;

  (ii) Fish Farmers Development Agency;

  (iii) Madhya Pradesh State Cooperative Scheduled Caste Finance and Development Corporation Limited;

  (iv) Madhya Pradesh State Cooperative Adivasi (Scheduled Tribe) Finance and Development Corporation Limited;

  (v) Madhya Pradesh State Pichhda Varg Tatha Alp Sankhyak Vitt Evam Vikas Nigam.

(i) Other borrowers in Priority/Non-Priority Sectors, including—

(1) Small road and water transport operators;

(2) Retail traders, whole sale traders;

(3) Small and Large Business operators;

(4) Professionals and Self Employed Persons;

(5) Consumption loans for weaker sections;

(6) Personal Consumer Loans;

(7) Housing loans;

(8) Educational loans;

(9) Tourism and Hoteliaring/Catering;

(10) Financing for development of Infrastructure;

(11) Kisan Credit Cards/Credit Cards.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. R. S. CHAUDHARY, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2000.